राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

कमांकःप.10(03)राज–6/2001/27 जयपुर, दिनांक 14/08/2025

परिपत्र

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग विस्तार करने के संबध में प्रावधान विद्यमान है। यह प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ता दिये जाने के संबध में ही है। यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है, इसका समाधान विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52)राज–6/12/04 दिनाक 14.6.2013 द्वारा किया जा चुका है। लेकिन यदि खातेदार को अपनी जोत तक पहुचने के लिये रास्ते की आवश्यकता चारागाह भूमि में से है, तो इसके संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न होने से इस बिंदु पर महाधिवक्ता महोदय से राय प्राप्त की गई कि खातेदार को अपनी जोत तक पहुचने के लिये रास्ते के लिये दी जाने वाली भूमि यदि किस्म चारागाह है तो क्या चारागाह भूमि से रास्ता दिया जा सकता है। महाधिवक्ता महोदय से प्राप्त राय का विभाग स्तर से परीक्षण उपरांत निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैः–

काश्तकार द्वारा अपनी जोत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहने के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में अन्तनिर्हित निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालना करते हुए चारागाह भूमि में से होकर रास्ता दिये जाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर निम्नानुसार प्रकिया का पालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेः–

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है। (The necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding)

(ii) अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव। (That absence of alternative means of access is proved)

उक्त शर्तो की पूर्ति होने पर चारागाह भूमि में से होकर रास्ता दिया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो की सुनिश्चितता करना आवश्यक होगाः–

(i) जिस व्यक्ति को रास्ता दिया जाना है उसके द्वारा उतने ही क्षेत्रफल की स्वयं की चारागाह से लगती हुई खातेदारी भूमि को चारागाह हेतु समर्पित करनी होगी और इस भूमि को चारागाह किस्म मे दर्ज किया जायेगा।

(ii) यह रास्ता लघुतम या निकटतम रूट से होगा तथा अधिकतम 30 फीट चौडा होगा।

(iii) ऐसे उपलब्ध कराये गये रास्तों को गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किया जावेगा।

(iv) उक्त दर्ज रास्ते में उस व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नही होगा यह एक सार्वजनिक रास्ता होगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जाये कि रास्ता उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप भूमि के शेष भाग का उपयोग चारागाह के रूप में अनुपयुक्त न हो जाये।

इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र कमांक प.6(174) राज–3/2025 दिनांक 26.5.2025 द्वारा जारी किये गये निर्देशों के इस परिपत्र द्वारा चारागाह भूमि में से होकर रास्ता दिये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों से असंगत की सीमा तक अतिकमित किये जाते है। शेष परिपत्र यथावत प्रभावी रहेगा।

(हरि सिंह मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय राजस्व मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. समस्त शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर को राविरा में प्रकाशनार्थ।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव